

प्रकाशनार्थ

गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण
संस्थागत सेक्टर-7, गोरखपुर।

विज्ञापन / पत्रांक:- 170

दिनांक 17-04-2023

ई-निविदा सूचना

मुख्य कार्यपालक अधिकारी, गीडा की ओर से सिविल कार्य हेतु 04 आन-लाईन ई-निविदा संबंधित ई-निविदा प्रपत्र दिनांक 17-04-2023 से 25-04-2023 तक आमंत्रित की जाती है। संबंधित ई-निविदा प्रपत्र वेबसाईट <http://etender.up.nic.in/www.gidagkp.in> पर दिनांक 18-04-2023 से उपलब्ध रहेगी। वेबसाईट पर उपलब्ध निविदा नोटिस में धरोहर धनराशि, निविदा मूल्य, निविदा डालने की तिथि, कार्य करने की अवधि एवं निविदा लागत तथा निविदा की विस्तृत नियम एवं शर्तों का उल्लेख है। ई-निविदा प्रपत्र वेबसाईट <http://etender.up.nic.in/www.gidagkp.in> पर देखे एवं वही भरे जा सकेंगे। इच्छुक ठेकेदारों/फर्मों से अनुरोध है कि वे नियमित रूप से उक्त वेबसाईट/नोटिस बोर्ड एवं दैनिक समाचार पत्र को देखते रहें, आन-लाईन ई-निविदा के संबंध में कोई बदलाव अथवा अतिरिक्त सूचना वेबसाईट पर उपलब्ध करायी जायेगी।

(पवन अग्रवाल)

मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
गीडा, गोरखपुर।

कार्यालय गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण
सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर
दूरभाष-(0551) 2580010, 2580090 फैक्स. (0551) 2580020

अल्पकालीन ई- निविदा सूचना

गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा गीडा में सिविल/अनुरक्षण कार्यों को कराने हेतु गीडा/केन्द्र/राज्य सरकार के विभागों एवं अर्द्धसरकारी उपक्रमों में सिविल निर्माण कार्य हेतु कॉलम न0 7 के अनुसार अहं श्रेणी में पंजीकृत फर्म/ठेकेदार से ऑन लाईन निविदा प्रतिशत दर में अधोलिखित कार्य हेतु टू-बिड्स सिस्टम द्वारा तत्कालीन मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय के स्वीकृति के अनुसार निविदा दिनांक 17.04.2023 को पूर्वाह्न 11:00 बजे से दिनांक 25.04.2023 को अपराह्न 3:00 बजे तक आमंत्रित की जाती है एवं दिनांक 21.04.2023 सायं 4:00 बजे प्री-बिड बैठक होगी। दिनांक 26.04.2023 को अपराह्न 4:00 बजे प्रीकवालिफिकेशन/टेक्निकल बिड खोलने की तिथि, कुल प्राप्त निविदाओं की संख्या के आधार पर नोटिस बोर्ड/ई-पोर्टल पर सूचित किया जायेगा। कार्यालय बन्द होने पर या अवकाश होने की दशा में यह बिड अगले कार्यालय दिवस में खोली जायेगी।

क्र० सं०	कार्य का नाम	आगणन धनराशि (जी. एस.टी. व लेबर सेस अतिरिक्त (रु० लाख में)	धरोहर धनराशि (रु० लाख में)	निविदा प्रपत्र का मूल्य	कार्यविधि	पंजीकृत श्रेणी	निविदा की श्रेणी
1	2	3	4	5	6	7	8
1	गीडा परिक्षेत्र में औद्योगिक सेक्टर -13/15 के अन्तर्गत गास्टर डेन की साफ- सफाई का कार्य।	26.16	2.62	(निविदा मूल्य + जी.एस.टी.) रु० 2950.00	01 माह	'ए/बी'	ऑन लाईन

नोट- कृपया निविदा प्रपत्र इत्यादि के सम्बंध में विस्तृत जानकारी वेबसाइट <http://etender.up.nic.in/www.gidagkp.in> पर प्राप्त की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त दिनांक 24.04.2023 तक कोई भी शुद्धि पत्र नोटिस बोर्ड व गीडा गोरखपुर की वेब साइट <http://etender.up.nic.in/www.gidagkp.in> से प्राप्त की जा सकती है।

नियम एवं शर्तेः—

- A) निविदादाता द्वारा निविदा मूल्य तथा धरोहर धनराशि “गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण” के खाता संख्या-740901000088, IFSC कोड- ICIC0007409, ICICI बैंक, शाखा-तारामण्डल, गोरखपुर में RTGS/NEFT के माध्यम से जमा कराते हुये जमा कराते हुये जमा रसीद (UTR No./Transaction ID) निविदा प्रपत्रों के साथ ऑनलाईन अपलोड करना अनिवार्य है।
- B) निविदा की वैधता निविदा प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि से 90 दिन तक होगी।
- C) ITB क्लाज 4.4 बी के अनुसार बिड्स के साथ दिये गये सभी प्रपत्र के सत्यता एवं सूचना के सम्बन्ध में शपथ प्रमाण-पत्र मूल रूप में “मुख्य कार्यपालक अधिकारी गीडा गोरखपुर” को सम्बोधित करते हुए “बिड्स की अन्तिम तिथि के पूर्व का एवं ई-प्रोक्यूरमेंट के अन्तिम समय से पूर्व का होना चाहिए।
- D) ऐसे निविदादाता जिसका सगा-सम्बन्धी (defined as first blood relations, and their spouses) जैसा कि खण्डीय लेखाधिकारी/अवर अभियन्ता/सहायक अभियन्ता/सहायक प्रबन्धक/प्रबन्धक/वरिष्ठ प्रबन्धक के पद पर आसीन होंगे, को कार्य करने की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी। निविदादाता को इस सम्बन्ध में नाम तथा

पद सहित कार्यकारी रिश्टेदारों का शपथ—पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, जोकि खण्ड अथवा वृत्त में कार्यरत है।

- E) ऐसे राजपत्रित अभियन्ता/अधिकारी जिनका राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार की सेवा से दो वर्ष सेवानिवृत्त पूर्ण नहीं हुए हैं, को कार्य करने की अनुमति बिना राज्य सरकार/केन्द्र सरकार की अनुमति नहीं दी जायेगी। यदि कोई सेवानिवृत्त अभियन्ता/अधिकारी बिना सरकार की अनुमति के कार्य करते हुये पाये जायें, तो संज्ञान में आते ही उनकी निविदा तुरन्त निरस्त कर दी जायेगी।
- F) कोई भी निविदादाता जो स्टेट बार काउंसिल में पंजीकृत है, उन्हें निविदा प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
- G) प्रत्येक बिडर्स को रु0 100.00 के नान—ज्यूडिसियल स्टैम्प पेपर के शपथ—पत्र पर सभी सूचनाँए निर्धारित प्रपत्रों पर आन—लाईन अपलोड करना अनिवार्य है, जिससे कि निविदादाता की बिड्स कैपेसीटी (कार्य करने की निविदा—क्षमता) /परीक्षण/आँकलित हो सकें।
- H) प्रत्येक निविदा के साथ निविदादाता को सभी सूचनाँए/प्रपत्र निर्धारित प्रारूप जैसे—टी—4, टी—5 की सत्यापित छायाप्रति एवं टी—6 मूल रूप से निर्धारित प्रारूप पर (निविदा आमंत्रण तिथि के पश्चात् निर्गत नोटराइज्ड होना) प्रत्येक निविदा के साथ, शा0सं0—2572 /23—7—2014—176 (सामान्य)/06टी0सी0 दिनांक 23 सितम्बर 2014 के कम में अपलोड करना अनिवार्य है।
- I) लोक निर्माण विभाग के शासनादेश संख्या 836 /23—7—17—176(सा0)/06 दिनांक 08 जून 2017 को बिन्दु संख्या 2 के अनुसार टेन्डर/कार्य में पारदर्शिता एवं सूचिता लाने तथा माफियां गतिविधियों एवं गुण्डा तत्वों पर रोक लगाने एवं माफिया गतिविधियों, गैंगेस्टर एवं गुण्डा गतिविधियों में संलग्न हो उसे ठेका नहीं दिया जायेगा। जो व्यक्ति संगठित अपराधों अथवा असामाजिक गतिविधियों में संलग्न हों उसे भी ठेका नहीं दिया जायेगा। ऐसे व्यक्तियों का ठेका प्रक्रिया में भाग लेना भी प्रतिबंधित होगा साथ ही उसे भी ठेका नहीं दिया जायेगा। जो व्यक्ति संगठित अपराधों अथवा असामाजिक गतिविधियों में संलग्न हो उसे भी ठेका नहीं दिया जायेगा। ऐसे व्यक्तियों का ठेका प्रक्रिया में भाग लेना भी प्रतिबंधित होगा साथ ही जो ठेकेदार पूर्व में लो0नि0वि0 अथवा राज्य सरकार या किसी अन्य विभाग में ब्लैकलिस्टेड श्रेणी में आते हैं वो भी ठेके में भाग नहीं ले सकेंगे और उन्हे कोई भी ठेका स्वीकृत नहीं किया जायेगा। ठेकेदार द्वारा इस सम्बन्ध में निविदा के साथरु0 100.00 के नान—ज्यूडिसियल स्टैम्प पेपर पर शपथ पत्र (नोटरी एफिडेविट) प्रस्तुत करना होगा।
- J) निविदा के समान प्रकृति के कार्यों का अनुभव प्रमाण—पत्र लोक निर्माण विभाग के T-1 में निहित प्राविधान के अनुसार निविदा मूल्य के सिविल कार्य का एक तिहाई का अनुभव होना अनिवार्य है।
- K) निविदादाता द्वारा विगत 5 वित्तीय वर्षों का वार्षिक टर्न ओवर न्यूनतम आगणन के 50 प्रतिशत धनराशि का सी0ए0 द्वारा प्रमाणित बैलेन्स शीट एवं आई0टी0आर0 तथा नवीनतम वैध चरित्र प्रमाण—पत्र, हैसियत प्रमाण पत्र, श्रम विभाग में पंजीकरण, पैन कार्ड तथा जी0एस0टी0 का पंजीकरण की प्रमाणित छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
- L) निविदादाता द्वारा कम रेट अंकित करने पर नियमानुसार निर्धारित तिथि के अन्तर्गत परफार्मेंस सिक्योरिटी जमा करने के पश्चात ही अनुबन्ध की कार्यवाही की जायेगी। अन्यथा की स्थिति में जमानत धनराशि जब्त करते हुये अग्रिम कार्यवाही का अधिकार मुख्य कार्यपालक अधिकारी, गीड़ा में निहित होगा तथा जमा की गयी परफार्मेंस सिक्योरिटी संतोषजनक ढंग से कार्य पूर्ण करने के उपरान्त अवमुक्त की जायेगी।
- M) निविदा की दरें स्पष्ट रूप से शब्दों तथा अंकों में निर्धारित स्थान पर अंकित होने चाहिए। एक/समस्त निविदा को स्वीकार व अस्वीकार करने का अधिकार मुख्य कार्यपालक अधिकारी, गीड़ा में निहित होगा।
- N) निविदा स्वीकृति के पश्चात निविदा कार्य की कार्यादेश आदेश प्राप्ति के 10 दिन के अन्दर समस्त औपचारिकताएं पूर्ण करते हुये निर्धारित स्टैम्प पेपर पर अनुबन्ध सम्पादित कराना अनिवार्य है।
- O) निविदादाता को उपरोक्त कार्य हेतु मशीनरी यथा जे0सी0बी0/टैक्टर टाली के स्वामित्व/किरायेदारी के अनुबन्ध का नोटराइज्ड शपथ पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।

- ✓ P) निर्माण कार्य पूर्ण होने के पश्चात छः माह के अन्दर कार्य में किसी प्रकार की कमी पाये जाने पर कमी को दूर करना ठेकेदार/फर्म की पूर्ण जिम्मेदारी होगी। अन्यथा की स्थिति में धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
- Q) ठेकेदार द्वारा निर्धारित समय से कार्य पूर्ण न किये जाने की दशा में विलम्ब का कारण दर्शाते हुये संतोषजनक उत्तर देने पर समय वृद्धि अथवा सन्तोषजनक कारण न होने पर अनुबंध की धनराशि पर 1 प्रतिशत अथवा उससे अधिक दण्ड शुल्क लगाते हुये समय वृद्धि स्वीकृत करने का अधिकार मुख्य कार्यपालक अधिकारी गीड़ा में निहित होगा।
- R) अव्यवहारिक दरें किसी भी दशा में मान्य नहीं होंगी।
- S) ठेकेदार द्वारा कराये गये मानकों के अनुसार कार्यों का समय-समय पर भुगतान किया जायेगा एवं पूर्व गठित तकनीकी जांच समिति अथवा गुणवत्ता जांच थर्ड पार्टी की संस्तुति के पश्चात ही अन्तिम भुगतान की कार्यवाही की जायेगी।
- T) निविदादाता द्वारा संलग्न प्रपत्र जांच के समय अथवा बाद में असत्य पाया जाता है तो सम्बन्धित फर्म/ठेकेदार के खिलाफ अभियोग पंजीकृत कराते हुए धरोहर धनराशि जब्त कर निविदाकार को ब्लैक लिस्ट किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।
- U) निविदा की मूल प्रति एवं निविदा मूल्य हेतु RTGS/NEFT की जमा रसीद (UTR No./Transaction ID) मूल रूप से समस्त प्रपत्रों पर पृष्ठ संख्या अंकित करते हुये इन्डेक्स के साथ सील कर निविदा डालने की तिथि व समय से पहले मुख्य कार्यपालक अधिकारी/वरिष्ठ प्रबन्धक (सिविल) के कार्यालय गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-7, गीड़ा, गोरखपुर कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा।
- V) ठेकेदार के बिल से 1 प्रतिशत श्रमिक पंजीयन उपकर (सेस चार्ज) नियमानुसार देय होगा।
- W) किसी भी विवाद की दशा में मुख्य कार्यपालक अधिकारी गीड़ा का निर्णय अन्तिम व मान्य होगा।
- X)(i) जी०एस०टी० एवं अन्य करों की देयता नियमानुसार निविदादाता की होगी।
 ii) निविदादाता सम्पूर्ण आवश्यक प्रवलित दरों के दृष्टिगत निविदा की दरों को कोटि करना सुनिश्चित करेंगे।
 iii) निविदा स्वीकृति के समय ठेकेदार को अतिरिक्त धरोहर-धनराशि अपर मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन लोक निर्माण अनुभाग-७ लखनऊ के शासनादेश सं० ८/२०१७/८३६/२३-७-१७-१७६(सा.)/०६ दिनांक ८-६-२०१७ पैरा-१९ के अनुसार देय होगी।
- Y) अन्य नियम व शर्तें लोक निर्गाण विभाग के अनुरूप होंगी जिन्हें किसी भी कार्य दिवस में अभियन्त्रण अनुभाग में देखी व जानी जा सकती हैं।

पत्रांक 144

/अभि०नि०-६/सिविल/निविदा(सि०)/गीड़ा/2022-23

प्रतिलिपि :-

- 1- अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी को सूचनार्थ।
- 2- निविदा समिति के सदस्यों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 3- कम्प्यूटर अनुभाग, गीड़ा को इस आशय से प्रेषित कि निश्चित समय पर वेबसाइट www.gidagkp.in पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
- 4- श्री एन०पी०एस० सिसोधिया, प्रबन्धक, सिविल को ई-निविदा साईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
- 5- वरिष्ठ प्रबन्धक (सिविल) को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 6- सम्बन्धित पत्रावली हेतु।

(पवन अग्रवाल)
मुख्य कार्यपालक अधिकारी।

दिनांक १३०४-२०२३

(पवन अग्रवाल)
मुख्य कार्यपालक अधिकारी।